

(दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग-4 में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

(विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग)

क्र.सं.एफ. 13(2)\97-एल.ए.

दिनांक:- 31 मार्च, 1997

उपराज्यपाल, दिल्ली की दिनांक 31 मार्च, 1997 को मिली अनुमति के पश्चात विधान सभा द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम जन साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है:-

विनियोग (संख्या 1) अधिनियम, 1997

(दिल्ली अधिनियम संख्या 2, 1997)

दिनांक:- 31 मार्च, 1997

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा यथा पारित)

अधिनियम


वर्ष 1996-97 से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से भुगतान प्राधिकृत करने तथा कुछ और राशि का विनियोजन करने के लिए

इसे भारतीय संविधान के 48वें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जाए।

- | | | |
|---|-----|---|
| संक्षिप्त शीर्षक | (1) | इस अधिनियम को विनियोजन (संख्या - 1) अधिनियम 1997 कहा जाए। |
| वर्ष 1996-97 के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से 670,14,17,000/- रुपये का निर्गम | (2) | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त कुछ और राशि जो अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभारों की अदायगी के लिए छः सौ सत्तर करोड़ चौदह लाख सत्तर हजार रुपये की कुल राशि के बराबर है, जो अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यों के सम्बन्ध में वर्ष 1996-97 की अवधि के दौरान भुगतान के रूप में प्रयुक्त होगी। |
| विनियोजन | (3) | इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त अवधि के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों के लिए विनियोजित की जायेगी। |

अनुसूची
(खण्ड 2 व 3 देखे)

		रूपये हज़ारों में		
मौग संख्या	सेवाएं एवं उद्देश्य	राशी इससे अधिक नहीं		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	संचित निधी पर भारित	जोड़
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	विधान सभा	राजस्व ..	150	150
2	सामान्य प्रशासन	राजस्व 12341	20	12361
3	न्याय प्रशासन	राजस्व ..	5197	5197
4	वित्त	राजस्व ..	2	2
5	पुलिस	राजस्व .. पूँजीगत
6	शिक्षा	राजस्व 200 पूँजीगत	200
7	चिकित्सा व जन स्वास्थ्य	राजस्व 100 पूँजीगत ..	650	750
8	समाज कल्याण	राजस्व 200 पूँजीगत 1224570	..	200
9	उद्योग	राजस्व 217253 पूँजीगत 983696	1000	218253
10	विकास	राजस्व .. पूँजीगत ..	849789	849789
11	स्वायत्त शासन विभाग एवं लोक निर्माण विभाग	राजस्व 1000 पूँजीगत 3149349	1800	2800
--	सार्वजनिक ऋण	राजस्व ..	199400	199400
12	सरकारी कर्मचारीयों को ऋण	पूँजीगत
13	पेंशनें	राजस्व
जोड़ :-		5588709	1112708	6701417


R. T. L. D'SOUZA
 Under Secretary (L. A.)
 Law, Justice & Legislative Affairs
 Govt. of N.C.T. of Delhi

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

No.F.13(2)/97-L.A.

Dated 31.3.97

The following Act of Legislative Assembly received the assent of the Lt. Governor of Delhi, on the 31st March, 1997 and is hereby published for general information:-

THE APPROPRIATION (NO.1) ACT, 1997
(Delhi Act No.(2) of 1997)

Dated 31.3.97

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi)

AN
ACT

to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the services in respect of the financial year 1996-97.

Be it enacted by the Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi in the 48th year of the Republic of India as follows :-

SHORT TITLE

1. This Act may be called the Appropriation (No.1) Act 1997.

ISSUE OF
Rs.670,14,17,000/-
from and out of the
Consolidated Fund
of the National
Capital Territory
of Delhi for the
financial year
1996-97.


2. From and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column (5) of the schedule, amounting in the aggregate to the sum of Rupees six hundred seventy crores and fourteen lakhs seventeen thousand towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 1996-97 in respect of the services specified in column (2) of the Schedule.

APPROPRIATION

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said period.

THE SCHEDULE
(See Section 2 and 3)

			(Rs. in Thousands)		
DEMAND No.	SERVICES AND PURPOSES		SUMS NOT EXCEEDING		
			Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
1	Legislative Assembly	Revenue	..	150	150
2	General Administration	Revenue	12341	20	12361
3	Administration of Justice	Revenue	..	5197	5197
4	Finance	Revenue	..	2	2
5	Police	Revenue
		Capital
6	Education	Revenue	200	..	200
		Capital
7	Medical and Public Health	Revenue	100	650	750
		Capital
8	Social Welfare	Revenue	200	..	200
		Capital	1224570	..	1224570
9	Industries	Revenue	217253	1000	218253
		Capital	983696	..	983696
10	Development	Revenue	..	849789	849789
		Capital
11	Local Self Govt. Deptt. & Public Works Department	Revenue	1000	1800	2800
		Capital	3149349	54700	3204049
--	Public Debt	Revenue	..	199400	199400
12	Loans to Govt. Servants	Capital
13	Pensions	Revenue
TOTAL :-			5588709	1112708	6701417


R. T. L. D'SOUZA
Under Secretary (L. A.)
Law, Justice & Legislative Affairs
Govt. of N.C.T. of Delhi